परिणामी बजट वर्ष 2019-20

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजन	छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के जरिए राज्य की 90 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चत करना ।	40000000	58.13 लाख हितग्राही परिवार प्रतिमाह इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होंगे।	
2	रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चिन्हांकित अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को अनुसूचित क्षेत्रों में प्रतिमाह 02 किलो तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों में प्रतिमाह 01 किलो आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराया जाता है।	10000	57.47 लाख राशनकार्ड धारी परिवार इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह लाभान्वित किया जाना	
3	अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्रों को प्रोत्साह सहायता	गरीब एवं जरुरतमन्द व्यक्तियों को अत्यन्त कम मूल्य अर्थात 5 रूपये की दर से भरपेट भोजन उपलब्ध कराना ।	10000	प्रतिदिन 15.20 हजार जरूरतमंद हितग्राहियों को 10/- रूपयें में दाल भात उपलब्ध कराना	
4	अन्नपूर्णा योजना	65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते है किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, को प्रतिमाह 10 किलो चावल निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है ।	6240	योजनांतर्गत 7265 लाभान्वित हितग्राहियों को प्रतिमाह किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराना ।	
5	अंत्योदय अन्न योजन	अति गरीब परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है।	98570	14.66 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह लाभान्वित करना ।	
6	शक्कर वितरण योजन	समस्त राशन कार्डधारियों को रियायती दर पर प्रति कार्ड एक किलो शक्कर उपलब्ध कराना है ।	1000000	57.47 लाख हितग्राहियों को प्रतिमाह लाभान्वित करना ।	

परिणामी बजट वर्ष 2019–20

विभाग– खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

विभागाध्यक्ष– संचालक,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2019–20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
7	अंत्योदय अन्न योजनांतर्गत चना का प्रदाय	राज्य के अनुसूचित विकासखण्डों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के राशनकार्डधारियों को प्रत्येक माह 02 किलोग्राम (प्रति किलो 5 रूपये) की दर से चना का वितरण किया जा रहा है ।	10000	प्रतिमाह 23.77 लाख कार्डधारियों को चना उपलब्ध कराना।	
8	पहुँचविहीन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में खाद्य भंडारण हेतु सहायता ।	राज्य के ऐसे स्थानों में, जहाॅ वर्षाऋतु के दौरान आवागमन अवरूद्ध हो जाते हैं वहां खाद्यान्न, शक्कर, अमृत नमक तथा केरोसिन उपभोक्ताओं को सुलभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व अग्रिम भण्डारण किया जाता है ।	25000	234 पहुंचविहीन दुकानों में वर्षाऋतु के दौरान अग्रिम खाद्यान का भण्डारण कराना	
9	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	03 वर्षो में प्रदेश के 35 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया है ।	10000	वित्तीय वर्ष 2019–20 में 01 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदाय किया जावेगा	
10	नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	नाबार्ड के सहायता से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण किया जा रहा है ।	105000	नाबार्ड द्वारा खाद्यान्न भण्डारण के लिये 14 गोदाम निर्माण हेतु ऋण वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन का दी जाती है ।	